बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित, पटना
(बिस्कोमान)
आदेश

श्री रविन्द्र कुमार सिंह, कनीय अभियंता (असैनिक) दिनांक 03.01.2006 के अपराह्न से पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार से कार्य विरमित हुए, परन्तु श्री सिंह द्वारा लम्बी अवधि तक बिस्कोमान में योगदान नहीं किया गया। श्री सिंह द्वारा दिनांक 30.08.2010 को अपना योगदान बिस्कोमान में समर्पित किया गया एवं इनके द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र भी दिया गया है कि दिनांक 04.01.2006 से दिनांक 29.08.2010 तक किसी भी निजी संस्था/सरकारी संस्था में वे कार्यरत नहीं थे और वे दिनांक 04.01.2006 से दिनांक 29.08.2010 तक अनुपस्थित अवधि का वेतनादि भुगतान पाने का कोई दावा भी बिस्कोमान से नहीं करेंगे। श्री सिंह के योगदान की स्वीकृति दिनांक 30.08.2010 के प्रभाव से दी गई है।

श्री रविन्द्र कुमार सिंह को बिस्कोमान द्वारा योगदान की तिथि से सितम्बर 2010 से जुलाई 2013 तक लगातार वेतन का भुगतान किया जाता रहा है। श्री सिंह दिनांक 01.08.2013 से लगातार अनुपस्थित रहे हैं, जबकि इनकी खोज लगातार की जाती रही है। अन्ततः इस कार्यालय के पत्रांक स्था॰/31/बी/248 दिनांक 30.08.2013 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मॉग सचिव, बिस्कोमान द्वारा की गई। स्पष्टीकरण के जवाब में श्री रविन्द्र कुमार सिंह द्वारा दिनांक 13.09.2013 को यह सूचित किया गया कि "माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश संख्या–1/स्था॰(न्या)–13/2013–138/न॰वि॰ एवं आ॰वि॰, पटना दिनांक 23.08.2013 के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 27.08.2013 को नगर आयुक्त, पटना, नगर निगम, पटना के कार्यालय में योगदान दे दिया गया है।"

अभी तक इस कार्यालय को नगर विकास एवं आवास विभाग के उपरोक्त पत्र की प्रति एवं CWJC-1615/2006 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश की प्रति अप्राप्त है। श्री रविन्द्र कुमार सिंह को इस कार्यालय से पटना नगर निगम में योगदान देने हेतु न तो विरमित किया गया है और न ही श्री सिंह से निगम में योगदान देने के पूर्व विरमित करने हेतु कोई अभ्यावेदन हीं दिया गया है। श्री सिंह के उक्त आचरण से यह प्रतीत होता है कि ये गैर जवाबदेह और अविश्वसनीय कर्मी है।

बिस्कोमान के Staff Regulations की धारा G(IV) के (iv) में यह प्रावधानित है कि बिना सूचना दिये लगातार 08 कलेण्डर दिवस तक अनुपस्थित रहने के कारण बिस्कोमान के किसी भी कर्मी की सेवा Terminate की जा सकती है। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि श्री रविन्द्र कुमार सिंह पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार से कार्य विरमित होने के पश्चात एक लंबी अवधि तक बिस्कोमान में योगदान नहीं किये और न ही उनके द्वारा इस आशय की कोई सूचना बिस्कोमान को दी गई है। खास कर दिनांक 01.08.2013 से लगातार अनुपस्थित हैं। श्री सिंह का दिनांक 29.08.2013 का

अभ्यावेदन हास्यास्पद है कि दिनांक 30.08.2013 द्वारा जब इनसे अनुपस्थित रहने के कारण की पृच्छा की गई, तब इन्होंने दिनांक 27.08.2013 के प्रभाव से पदमुक्त करने की आकांक्षा जाहिर की है। श्री सिंह उक्त अनाधिकृत के संबंध में दिनांक 01.10.2013 को सम्पन्न निदेशक पर्षद की बैठक में प्रस्ताव संख्या–14 में इनकी सेवा समाप्ति का अनुमोदन प्राप्त है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री रविन्द्र कुमार सिंह, कनीय अभियंता, बिस्कोमान, पटना की सेवाएँ दिनांक 09.08.2013 के प्रभाव से Terminate की जाती है।

यह आदेश तात्कालीक प्रभाव से लागू समझा जाएगा।

31/10/13

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०-का०सं० अ०-31-स्था- 2377 दिनांकः– 01-11-2013

प्रतिलिपिः–

1. श्री रविन्द्र कुमार सिंह, कनीय अभियन्ता, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, बिस्कोमान, पटना
3. विशेष पदाधिकारी (प्र॰), बिस्कोमान, पटना
4. सभी पदाधिकारी, बिस्कोमान पटना को सूचनार्थ।
5. लेखा पदाधिकारी (स्थापना लेखा), बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
6. प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग एवं प्रोग्रामर–सह–हार्डवेयर नेटवर्किंग, बिस्कोमान पटना को सूचनार्थ एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि बिस्कोमान के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक के निजी सचिव, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।

31/10/13

सचिव